

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौरती बनाम रघुनाथ

दावा बाबत :- 188, 92अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 33/2023

पेश करने की दिनांक - 17.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 370 रकबा 1.64 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार की दखलदांजी व निर्माण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।



मुद्दई

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद  
नसीराबाद (अजमेर)

